न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 02/2021 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2021/5

प्रार्थी :—

भीमाराम पुत्र श्री सुराराम, जाति सीरवी, निवासी ग्राम ढोला जागीर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री खीमसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गिरवर, तहसील पाली हाल निवासी डाक बंगला रोड, ग्राम ढोला जागीर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
2. ग्राम पंचायत ढोला, जरिये सरपंच, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 28.10.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत ढोला द्वारा मिसल संख्या 45/2003—2004 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 08.12.2003 के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1684 दिनांक 24.12.2003 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा संख्या 1684, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 08.12.2003 की अनुपालना में दिनांक 24.12.2003 को जारी किया है वह पुश्तैनी मकान मानकर राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (ख) के तहत 200/— राशि प्राप्त कर जारी किया गया है जबकि वास्तविक रूप से उक्त पट्टा भू—भाग पट्टाधारक अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम ढ़ोला जागीर का मूल निवासी है, जो वर्तमान में शिक्षक के पद पर राजकीय सेवा में ग्राम खूनीगुड़ा, तहसील रानी में कार्यरत है। अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम गिरवर का मूल निवासी है इसके साक्ष्य में निर्वाचक नामावली वर्ष 2010 की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर आराजी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ओटाराम पुत्र कपूरजी गर्ग से खरीदशुदा है इस बात को श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन पंचायत निगरानी संख्या 20/2020 बअनवान सुश्री मोनिका सोनीगरा बनाम इन्द्रमल वगैरह में पैरा संख्या 02 से साबित है। इस तरह अप्रार्थी संख्या 01 ने अवैध तरीके से रूपये बचाने के चक्कर में एवं कानूनी जानकारी रखते हुए भी जानबूझकर राज्य सरकार की आय को नुकसान पहुँचाने की नियत से अप्रार्थी संख्या 02 से मिलीभगत कर जैर निगरानी पट्टा बदनियतीपूर्वक जारी करवाया है जो पंचायत राज नियमों के विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारीशुदा पट्टे एवं उससे संबंधित मिसल 45/2003—2004 की प्रमाणित प्रति सूचना अधिकार के तहत अप्रार्थी संख्या 02 से मांगी गई परन्तु संबंधित दस्तावेज ग्राम ढ़ोला में अतिवृष्टि के कारण आई बाढ़ दिनांक 26.07.2016 को नष्ट होना पत्रांक/ग्रा.प. ढ़ोला/2020—21/एस.पी.—1 दिनांक 03.09.2020 से जाहिर किया जो उपलब्ध नहीं होने से पेश नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा विक्रय—विलेख पूर्णरूप से राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना से परे जाकर बनाया गया है जो खरीदशुदा भू—भाग के संबंध में है ऐसे में बिना पंजीबद्ध विक्रय विलेख के सीधा पट्टा जारी करना भी अवैध है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा गलत तरीके से साक्ष्य के अभाव में एवं विधि विरूद्ध कार्यवाही कर

जिला कलेक्टर, पाली

फायदा पहुंचाने की नियत से यह जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अप्रार्थी द्वारा जैर आराजी प्लॉट मय मकान खरीद किया गया है जिसके पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रति पेश की हुई है। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर ग्राम पंचायत से पट्टा हासिल किया गया है। अतः पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पचांयत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज किये जाने के संबंध में उठाये गये बिन्दु निम्न है –

1. अप्रार्थी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे में वर्णित माप एवं विक्रय विलेख में वर्णित माप में अन्तर है तथा पट्टा जारी करने में अन्य प्रक्रियात्मक कमियां रखी गई है।

उपरोक्त बिन्दु के सन्दर्भ में यह है कि वकील उभयपक्ष द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत कथन अनुसार प्रथम–दृष्ट्या स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा खरीदशुदा भूमि में माप 12 फीट बाई 53.5 फीट था तथा जैर निगरानी पट्टे में वर्णित माप 13 बाई 58 फीट है जिससे जाहिर होता है कि अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी हुआ है।

अतः अप्रार्थी का खरीदशुदा भू–खण्ड जिसमें विक्रय विलेख के आधार पर माप 12 फीट बाई 53.5 फीट है, जिस विक्रय विलेख की प्रति ग्राम पंचायत में पेश कर मिसल संख्या 45/2003–04 के द्वारा पट्टा संख्या 1684 दिनांक 24.12.2003 को हासिल किया गया है जिस पट्टे एवं विक्रय विलेख के माप में अन्तर है। अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आंशिक स्वीकार कर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि वे दो माह में जाँच करे कि जैर निगरानी पट्टे के माप एवं विक्रय विलेख में वर्णित माप में अन्तर के क्या कारण रहे है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सड़क की भूमि पर कोई पट्टा जारी नहीं किया गया हो। यदि प्रकरण में नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जावे या सम्पूर्ण कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की प्रकिया दूषित(Vitiate) हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। ग्राम पंचायत के स्तर पर रही साधारण लिपिकीय या प्रक्रियात्मक कमियों के कारण लगभग 19 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को बिना विस्तृत जांच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

निर्णय आज दिनांक 28-10-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली